अपील नं0 228/2018/225 आर टी ए भागवंती आदि बनाम सरोज आदि 2018/00349
अपील नं0 229/2018/225 आरटीए कृष्णलाल आदि बनाम सरोज आदि 2018/00348

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

(1) अपील संख्या – 228/2018/225 आर टी ए

1. भागवंती पुत्री मामराज जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मु0 राधा पत्नि श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. बजरंग पुत्र श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. विष्णु पुत्र श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. गीता पुत्री श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. सुमन पुत्री श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. सुनीता पुत्री श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांटस

बनाम

1. मु0 सरोज पत्नि विजयसिंह जाति बिश्नोई निवासी चक 64 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका (8 डीबीएन) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. पृथ्वीराज पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका (8 डीबीएन) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. भूपराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका (8 डीबीएन) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. छोटूराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका (8 डीबीएन) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. बलराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका (8 डीबीएन) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. आत्माराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी सरदारापुराबीका (8 डीबीएन) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर।

—— रेस्पोडेंटस

उपस्थित :–

श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलांटस
श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ता 7
श्री मनजीतसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8

(2) अपील स. 229/2018/75 एलआर एक्ट

1. कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई सुथार निवासी सरदारपुराबीका 8 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. पृथ्वीराज पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई सुथार निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. भूपराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई सुथार निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. छोटूराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई सुथार निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. बलराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई सुथार निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. आत्माराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई सुथार निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरोज पत्नि विजयसिंह जाति बिश्नोई निवासी 64 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीराम (फौत) पुत्र जीवनराम जाति बिश्नोई जरिये वारिसान।

3/1 राधा पत्नि श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3/2 बजरंग पुत्र श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3/3 विष्णु पुत्र श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3/4 गीता पुत्री श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3/5 सुमन पुत्री श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3/6 सुनीता पुत्री श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4. भागवंती पुत्री मामराज जाति बिश्नाई निवासी सरदारपुराबीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेण्टस

अपीले विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी सूरतगढ़ दिनांक 20.11.17
प्रकरण सं0 159/2017 अनवानी कृष्णलाल आदि बनाम सरोज आदि

उपस्थित :—

1. श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री मनजीतसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
3. श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3/1 से 3/6, 4
4. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिंनाक : 16.08.2018

1. इस प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कृष्णलाल जो अपील सं. 229/2018 के अपीलांट एवं अपील सं. 228/2018 के रेस्पो0 सं. 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए चक 8 डीबीएन के प.न. 54/285 के कि.न. 3, 4, 5 रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 8 डीबीएन के प.न. 54/286 मु.न. 34 कि.न. 4/0.025 है0 व भागवंती के नाम दर्ज प.न. 54/286 मु.न. 34 किन. 5/0.253 मे से 0.025 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीले राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 18.06.2018 द्वारा पत्रावली न्यायालय हाजा मे मुन्तकिल किये जाने पर प्राप्त हुई। दोनो ही अपीलो के अपीलांटस की ओर से श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पो0सं. 1 सरोज की ओर से श्री मनजीतसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस मुरर्रर हुई।
2. उपरोक्त दोनो अपीले एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं समान भूमि एवं समान पक्षकार होने के कारण उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
3. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
4. अपील सं. 228/18 के अपीलाण्ट जो कि अपील सं. 229/18 के रेस्पो0 सं. 4 है, के विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट भागवंती देवी के नाम से चक 8 डीबीएन के प.न. 54/285 का कि.न. 14, 15, 16, 17, 24, 25 व प.न.

54/286 मे कि.न. 5 मे भूमि स्थित है जो कि जमाबंदी से साबित है व इसी कदर अपीलांट सं. 2 ता 8 के नाम से चक 8 डीबीएन का प.न. 54/286 का कि.न. 4, 6 ता 10, 11 ता 15 मे 11.00 बीघा भूमि दर्ज कागजात है जो कि जमाबंदी से भी साबित है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे यह स्पष्ट कर दिया था कि अपील सं. 228/18 के प्रार्थीगण/रेस्पो0. सं. 2 ता 7 को आने जाने के लिये कोई रास्ता मौका पर आने जाने के लिये नही दिया गया था बल्कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंकित जो कि सरोज के नाम से अंकित है मे से ही आते जाते है इसलिये प.न. 54/285 के कि.न. 3, 4, 5 मे से ही रास्ता स्वीकृत किया जावे मौका पर अपील सं. 228/18 के प्रार्थीगण/रेस्पो0 सं. 2 ता 7 की कि.न. 2 मे ढाणी भी बनी हुई है जो कि सड़क से सीधे सम्पर्क मे है। विचारण न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गई है अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को दरकिनार करते हुये रेस्पो0 सं. 1 को फायादा पंहुचाने की गर्ज से निर्णय पारित किया है जबकि अपील सं. 228/18 के रेस्पो0 सं. 2 ता 7 द्वारा अपीलांटस की भूमि मे से रास्ता की मांग ही नही की थी विचारण न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है विचारण न्यायालय के आदेश से अपीलांटस के हितो पर असर पड़ा है व अपीलांटस की भूमि को टुकडों मे विभाजित किया है इससे पानी लगाने व काश्त करने मे भारी असुविधा होगी। अपील सं. 228/18 के रेस्पो0 सं. 2 ता 8 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वाके चक 8 डीबीएन का प.न. 54/285 मे अपनी ढाणी मे जाने के लिये कि.न. 3, 4, 5 मे दो दो बिस्वा रास्ता की मांग की थी परन्तु अपील सं. 228/18 के रेस्पो0 सं. 1 वा रेस्पो0 सं. 2 ता 7 द्वारा आपस मे मिली भक्त कर षड़यंत्र करते हुये अपीलांटस को नुकसान पहुंचाने वा रेस्पो0 सं. 1 को फायदा पहुंचाने के लिये यह रचना की गई है। अब जो रास्ता मंजूर किया है वह अपील सं. 228/18 के रेस्पो0 सं. 2 को अपनी ढाणी मे जाने के लिये सुविधाजनक नही है घुमावदार है वा ढाणी से भी दूर है, अपीलांट/रेस्पो0 की सहमति के अभाव मे रास्ता विचारण न्यायालय द्वारा मंजूर किया है जो प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धांतो के खिलाफ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

5. अपील सं. 229/18 के अपीलाण्ट जो कि अपील सं. 228/18 के रेस्पो0 सं. 2 ता 7 है, के विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया के आज्ञाकारी प्रावधानो का उल्लघन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। धारा 251क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व नियमानुसार मौका का निरीक्षण करने का आज्ञापक प्रावधान है, उसका कतई पालन नही किया गया। इसी आधार पर वैकल्पिक रास्ता दिया जाने का आदेश नियमानुसार ना होने से संशोधन कर अपीलांट को चाहे गये अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना न्याय संगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मान लिया गया है कि अपील सं. 229/18 के अपीलांट को रास्ता अपने काश्त शुदा अंकित भूमि चक 8 डीबीएन का प.न. 54/285 के कि.न. 1, 2 तक नही है, इसके बावजूद प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर संशोधन कर अनुतोष दिया गया है कि आदेश मे वर्णित रास्ता 1 बीघा मे कम दिया जा सकता है जो प्रार्थी (अपीलांट) को लम्बाई मे कम होगा जबकि मौका की स्थिति पर इस तथ्य की ओर कतई ध्यान नही दिया गया जबकि नया रास्ता स्वीकृत करने से अपीलांट को अपनी ढाणी मे आने जाने मे कम से कम से 5.00 बीघा भूमि तय ढाणी मे जाने होगा, यह रास्ता मांग के विपरीत जारी किया गया है। इससे अपीलांट को दो व्यक्तियों को मुआवजा देना होगा व उनके हितो का ध्यान रखना होगा। अप्रार्थी सं. 3 व 4 को रास्ते के बिन्दू पर पूर्ण रूप से सुना भी नही गया इस कारण

ओपलाधीन आदेश संशोधन योग्य है। अपीलाधीन आदेश मे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अंकित भूमि तक पहुंच हेतु रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है इसके बावजूद उसको चाहा गया रास्ता बिना मौका देखे संबंधित काश्तकारो को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता पिछले 20–25 वर्षो से चला आ रहा था तथा सुविधाजनक भी था अप्रार्थी सं. 1 जो कि हरियाणा के निवासी द्वारा अभी उक्त भूमि खरीद की है पूर्व मे चला आ रहा रास्ता सुखाधिकार की तारीफ मे भी आता है, नया रास्ता मंजूर कर प्रार्थीगण के हितो की अनदेखी की गई है जो कि निरस्ती योग्य है। प्रत्येक काश्तकार को अपने अंकित भूमि पर पहुंच हेतु रास्ता प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है जिसका कतई ध्यान ना कर रास्ता स्वीकृत किया गया है, तथा अप्रार्थी सं. 1 को नाजायज फायदा पहुंचाने की गर्ज से ऐसा आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्ती योग्य है। अतः अपील सं. 229/18 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.17 निरस्त कर प्रार्थी अपीलांट का मूल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 8 डीबीएन का प.न. 54/285 का कि.न. 3, 4, 5 से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का आदेश प्रदान किया जावें।

6. अपील सं. 228/18 एवं अपील सं. 229/18 के रेस्पो0 सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांट कृष्णलाल का चक 8 डीबीएन के प.न. 54/285 के कि.न 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, प.न. 55/285 के कि.न. 6, 15, 16, 23 ता 25 कुल 3.516 है0 खातेदारी के अलावा इसी चक के उक्त रकबा के चिपता हुआ अन्य रकबा चक 8 डीबीएन के प.न. 54/285 के कि.न. 18, 21 ता 23, प.न. 54/286 के कि.न. 1 ता 3 एवं प.न. 55/285 के कि.न. 25/2 कुल तादादी 1.860 है0 भूमि को प्रार्थना पत्र मे जानबूझकर दर्शित नही किया गया क्योंकि दोनो खातो का समस्त रकबा चिपता हुआ है तथा प.न. 54/286 के कि.न. 1 ता 3 जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसमे प.न. 54/286 के कि.न. 4, 5 से आवागमन करते आ रहे है। प.न. 5 मे उतर से दक्षिण पक्की डामर सड़क सरदारपुरा बीका के लिए बनी हुई है प्रार्थीगण ने उक्त अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट रंजिशवंश पेश किया गया है तथा चक 8 डीबीएन के प.न. 55/285 के कि.न. 1 ता 4 मे आवागमन किया जा रहा है उक्त रकबा प्रार्थीगण के परिवार का है तथा उक्त पत्थर मे अन्य सदस्यों को भी रास्ता न होने पर आवागमन किया जा रहा है। प्रार्थीगण के रकबे मे आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता चलने के पश्चात भी रेस्पो0 सं. 1 जो महिला जाति है को मात्र अपनी रंजिश के लिए अप्रार्थीगण के खेत के दो टुकडे करने पर आमादा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए सही रूप से अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 (सरोज) ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016(1) पेज 649 प्रस्तुत कर कथन किया कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था तथा वैकल्पिक मार्ग के अलावा प्रार्थी सीधे मार्ग का दावा नही कर सकता है। इसलिये उपरोक्त दोनो अपीले ही खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

7. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कृष्णलाल जो अपील सं. 229/2018 के अपीलांटस एवं अपील सं. 228/2018 के रेस्पो0 सं. 2 ता 7 है, के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए चक 8 डीबीएन के प.न. 54/285 के कि.न. 3, 4, 5 रास्ता स्वीकृत

करवाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 8 डीबीएन के प.न. 54/285 के कि.न. 3, 4, 5 के स्थान पर चक 8 डीबीएन के प.न. 54/286 मु.न. 34 कि. न. 4/0.025 है0 व भागवंती के नाम दर्ज प.न. 54/286 मु.न. 34 किन. 5/0.253 मे से 0.025 है0 भूमि मे रास्ता स्वीकृत कर दिया।

8. अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली की पत्रावली का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपील सं. 228/18 के अपीलांटस का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी मौका की जांच किये मात्र अप्रार्थी सं. 1/रेस्पो0 सं. 1 सरोज के कथनो के आधार पर अपीलांटस की भूमि रास्ता स्वीकृत कर दिया। इसी प्रकार अपील सं. 229/18 के अपीलांटस का भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस कृष्णलाल वगैरा द्वारा चाहे गये रास्ते के स्थान पर बिना मौका की जांच किये चक 8 डीबीएन के प.न. 54/286 मु.न. 34 कि.न. 4/0.025 है0 व भागवंती के नाम दर्ज प.न. 54/286 मु.न. 34 किन. 5/0.253 मे से 0.025 है0 भूमि मे रास्ता स्वीकृत कर दिया जो उचित नही है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण कृष्ण वगैरा द्वारा चाहे गये रास्ते के स्थान पर मात्र अप्रार्थी सं. 1/रेस्पो0 सं. 1 के कथनो के आधार पर वैकल्पिक रास्ता का उल्लेख करते हुए बिना मौका की जांच किये तथा बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे रास्ते की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुये रास्ता के संबंध मे मौका निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त कर रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त दोनो अपीले स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

9. अतः उक्त विवेचन के अनुसार उपरोक्त दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 17.09.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें। दोनो पत्रावलियों मे निर्णय की प्रति पृथक पृथक रखी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ